न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 25/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/33**
दायर दिनांक :– 11.02.2025 **निर्णय दिनांक :– 27.08.2025**

1. मांगीलाल पुत्र भंवरलाल जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
2. सुरेन्द्र पुत्र भंवरलाल जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
3. ईश्वरलाल पुत्र भंवरलाल जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
4. गोविंदराम पुत्र रतनाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
5. सिद्राजसिंह पुत्र रतनाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
6. विरेन्द्र पुत्र रतनाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. किरताराम पुत्र कानूराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
2. जीवणराम पुत्र कानूराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
3. धनाराम पुत्र कानूराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
4. हरचंदराम पुत्र कानूराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
5. किसनाराम पुत्र कानूराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
6. भागीरथराम पुत्र रामूराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
7. सुगनाराम पुत्र रामूराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
8. लखू पुत्र गोपाल जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
9. अजयपाल पुत्र तुलछाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
10. ओमप्रकाश पुत्र तुलछाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
11. राधाकिशन पुत्र तुलछाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
12. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है। उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

की पूरी-पूरी उम्मीद है। प्रार्थीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 326 रकबा 10.7646 हैक्टेयर सरहद मौजा राणेरी पटवार हल्का राणेरी तहसील बाप में स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर सेटलमेंट से पूर्व ही वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 11 के पूर्वजों तथा अन्य खातेदार चैना वल्द लिछमण का कब्जा काश्त था। इसी कब्जा काश्त अनुसार ही वक्त सेटलमेंट भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा ग्राम राणेरी उनकी खतौनी बन्दोबस्त जमाबंदी तैयार कर उकत वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 11 के पूर्वजों गोपाल रामू पि. आदू, धीमों वल्द मंगलों, चैनो वल्द लिछमण कौम विश्नोई सा. राणेरी के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज की गई जो कि खतौनी बन्दोबस्त जमाबंदी सम्वत 2015-2031 तक के खाता संख्या 26 पर दर्ज रिकार्ड है। खतौनी बन्दोबस्त अनुसार ही जमाबंदी सम्वत 2017-2020 में खाता संख्या 32 पर गोपाल व रामू पि. आदू, धीमा वल्द मंगला, चेना वल्द लिछमण बहिस्सा बराबर की प्रतिष्टि बिना किसी परिवर्तन लगातार चली आ रही है। उक्त वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार चैना वल्द लिछमण का वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 326 रकबा 10.7646 हैक्टेयर भूमि में 1/3 हिस्सा बंट में आता है। चैना वल्द लिछमण द्वारा अपने विधिक 1/3 हिस्सा की कानू वल्द अमलख के पक्ष में की गई बख्सीश का हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 27 भरते समय बिना जमाबंदी रिकॉर्ड का अवलोकन किये ही नामान्तरकरण संख्या 27 में चैना वल्द लिछमण का हिस्सा 1/3 के स्थान पर 1/2 हिस्सा अंकित कर दिया गया। चैना वल्द लिछमण द्वारा अपने खेत खसरा नम्बर 326 में 1/2 हिस्सा कानू पुत्र अमलख को बख्सीश स्टाम्प 384/28.01.1959 द्वारा कर दिया गया। अकंन के साथ कुल रकबा 1/2 हिस्सा भूमि का विधि विरूद्व नामान्तरकरण कानू पुत्र अमलख के पक्ष में भर दिया गया। जिसकी अभिलेख निरीक्षक बाप द्वारा उक्त बख्सीश के संबंध में रिकॉर्ड की बिना किसी प्रकार की सरसरी संख्या 1 ता 7 तक प्रविष्टी दुरूस्त है। चेना ने अपने हिस्से का 1/2 हिस्सा जरिये स्टाम्प कालम संख्या 14 से जाहिर है। बाद मुलायजा स्टाम्प मुनासब करवाई हेतु सरपंच कानासर कार्यालय में प्रस्तुत है के साथ दिनांक 29.04.1963 को तस्दीक कर दिया जिसे सरपंच कानासर द्वारा बिना रिकॉर्ड की जांच किये विधि विरूद्व तरीके से स्वीकृत कर दिया जिसका अमदरामद जमाबंदी सम्वत 2021-2024 में कर गोपाल, रामू पि. आदू, धीमा वल्द मंगला 1/2 कानू वल्द अमलख 1/2 हिस्सा कर दिया जो वर्तमान में इसी अनुसार गलत दर्ज चला आ रहा है। चैना वल्द लिछमण द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपने विधिक हिस्से 1/3 से अधिका किया गया कानून पुत्र अमलख के पक्ष में बख्सीश प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 11 के खातेदारी अधिकारों के विरूद्व शून्य है। प्रार्थीगण नामान्तरकरण संख्या 27 मौजा राणेरी को निरस्त करवाने तथा भूमि खसरा नम्बर 326 रकबा 10.7646 हैक्टेयर में 2/9 हिस्सा की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 अपने नापाक इरादों में सफल होने को लगातार प्रयत्नशील है यदि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 अपने नापाक इरादोंमें कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण को प्राप्त खातेदारी अधिकारों का कुठाराघात होगा तथा प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों में नहीं किया जा सकता है और न ही क्षतिपूर्ति संभव है। प्रार्थीगण गरीब व असहाय है जो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 का

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

मुकाबला करने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 को जरिये कानून रोका जाना आवश्यक है। प्रार्थी अपने पक्ष में अप्रज्ञर्थीगण संख्या 1 ता 4 के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि में प्रार्थी के 2/9 हिस्से में शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो स्वंय करे और न ही किसी अन्य से करावे और न ही प्रार्थीगण को उसके कब्जा काश्त की भूमि में जोर जबरदस्ती बेदखल ही करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा, खतोनी बन्दोबस्त, नामान्तरकरण इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्व कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

ग्राम राणेरी पटवार हल्का शेखासर के खाता संख्या 137 सम्वत् 2078–81 की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित सह खातेदार है। वादग्रस्त भूमि पूर्व में खतौनी बन्दोबस्त अनुसार गोपाल, रामू पि. आदू, धीमा वल्द मंगला, चेना वल्द लछमण के नाम 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज थी। चैना वल्द लिछमण ने अपने 1/3 हिस्से की भूमि कानू वल्द अमलख को बख्सीश कर दी गई। उक्त बख्सीश का नामान्तरकरण 27 भरते समय चैना का 1/3 हिस्सा के स्थान पर 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जबकि वक्त सेटलमेंट सभी का 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज था जो प्रार्थना पत्र के संलग्न खतौनी बन्दोबस्त से साबित है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैरकार हिस्से का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सुनवाई उपरान्त तय किया जाना है। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के हिस्से को लेकर विवाद है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हिस्से को लेकर विवाद के चलते प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना–पत्र और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित सह खातेदार है। वादग्रस्त भूमि पूर्व में खतौनी बन्दोबस्त अनुसार गोपाल, रामू पि. आदू, धीमा वल्द मंगला, चेना वल्द लछमण के नाम 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज थी। चैना वल्द लिछमण ने अपने 1/3 हिस्से की भूमि कानू वल्द अमलख को बख्सीश कर दी गई। उक्त बख्सीश का नामान्तरकरण 27 भरते समय चैना का 1/3 हिस्सा के स्थान पर 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जबकि वक्त सेटलमेंट सभी का 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज था जो प्रार्थना पत्र के संलग्न खतौनी बन्दोबस्त से साबित है। चूंकि प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुआ है। अतः न्यायालय के अभिमत में प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा हो सकती है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुये है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित होने के कारण मूल वाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि ग्राम राणेरी पटवार हल्का राणेरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 326 रकबा 10.7646 हैक्टेयर में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हक व हिस्सा तक ता फैसला दावा दखलअंदाजी न करे व राजस्व अभिलेख एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखें। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)